माध्यम से किए जाते हैं जिनके लिए प्रति व्यक्ति 4600 एस आर की विदेशी मुद्रा रिलीज की जाएगी। हज यात्री अपने आवास का भुगतान खुद करते हैं।

(ग) उम्मीद है कि लगभग 4800 हज यात्री जहाज से यात्रा करेंगे और लगभग 19,200 हज यात्री विमान से।

(घ) अनेक हज यात्री अपने प्रबंध ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से करते हैं। ये हज यात्री विदेश यात्रा योजना का लाभ उठाते हैं।

भारत विरोधी अभियान

2760. **श्री अजीत जोगी:**
कुमारी आलिया:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेताओं ने यह दोहराया है कि उनकी सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघ में कश्मीर के मामलें को उठायेगी जिससे कि संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के अनुसार इस समस्या का समाधान किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को पश्चिमी देशों और पाकिस्तान में किए जा रहे भारत विरोधी प्रचार की जानकारी है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने भारत विरोधी प्रचार से निपटने के लिए वर्ष 1991 के दौरान क्या-क्या कदम उठाये थे?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले भारत विरोधी प्रचार का प्रतिकार करने के लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार जगत को तथा विदेशी सरकारों को तथ्यपरक और दस्तावेजी साक्ष्य दिए हैं। इन विदेशी सरकारों ने तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार जगत ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में दखलन्दाजी कर रहा है, तथा इन सरकारों ने पाकिस्तान को सावधान करते हुए यह जो चेतावनी दी है कि वह भारत-विरोधी गतिविधियों से बाज आये, वह भी भारत की ओर से पाकिस्तानी प्रचार का प्रतिकार करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का ही प्रतिफल है।

Action against companies

2761. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a large number of cases regarding filling false statements and cheating the investing public by various companies;

(b) if so, what action has been taken by Government against such companies; and

(c) whether Government propose to amend the Companies Act to provide for stiff penalties against such companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): (a) to (c) Some complaints have been received against companies making tall/false claims in their prospectus relating to issues of shares and debentures to public. In order to provide for greater disclosure of information regarding the company, its management, the project proposed to be undertaken by the company, the financial performance of the company for the previous five years and management perceptions of risk factors and so as to enable the investors to take an informed decision regarding investments, the format of prospectus in Schedule II to the Companies Act, 1956 has been revised with effect from Ist November, 1991.

Section 56(3) of the Companies Act, as amended through the Companies (Amendment) Act, 1988 and brought into effect from Ist November, 1991 prescribes that no one shall issue any form of application for shares/debentures of a company unless the form is accompanied by a memorandum containing such salient features of a prospectus as may be prescribed. Govt. has recently prescribed the format of this memorandum to provide for greater disclosure of information to prospective investors, and issued a Press Note on 9th January, 1992, drawing attention of all concerned to the statutory requirements in this regard.

Mis-statements in prospectus would invite punishment with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to Rs. 5000/- or with both under Section 63(1) of the Act. The question of prescribing stiffer penalties can be considered as and when amendments to Companies Act are moved. Violations, when noticed, are dealt with, as per law.

आयकर अपील अधिकरण के समक्ष लंबित मामले

2762. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयकर अपील अधिकरण के समक्ष लंबित मामलों की संख्या एक लाख से अधिक हो गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस अधिकरण को कितने मामले प्राप्त हुए और उसके द्वारा कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) सरकार लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान अधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए मामलों की संख्या, क्रमशः 74,748, 78,673 और 82,676 हैं। इन वर्षों के दौरान, निपटाए गए मामलों की संख्या, क्रमशः 45,248, 58,885 और 54,976 हैं।

(ग) अधिकरण के अधिक सदस्यों को एकल सदस्य शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। सदस्यों को ऐसे स्थानों में दौरे पर भेजा जाता है जहां या तो लंबित मामलों की संख्या अधिक है या नियमित न्यायपीठें कार्य नहीं कर रही हैं। शीघ्र निपटारे के लिए, पूर्वोत्तर निर्णयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की संवीक्षा की जाती है। समान विधायकों वाली अपीलों की सुनवाई के लिए एक समूह में रखा जा रहा है।

2763. [Transferred to 25th March, 1991.]

Assets of 20 large Industrial Houses

2764. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state the assets, turnover before and after income-tax, and profit and loss as shown in their overall balance sheets by the first 20 large industrial houses as per latest information available with his Ministry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): A statement (*see* below) showing the latest available data on Assets, Total Income (including Turnover) and Profit Before Tax in 1989-90 (accounting year ending April, 1989-March, 1990) of Companies registered under Section 26 of the MRTP Act and belonging to the first 20 large Industrial Houses ranked according to their assets in 1989-90 is annexed.

Statement

Statement showing the Assets, Total Income (including Trunover) and Profit Before Tax in 1989-90 (Accounting year ending April, 1989 March, 1990) of Companies Registered under section 26 of the MRTP Act and belonging to the first 20 large Industrial houses ranked according to their Assets in 1989-90.

(Rs. in crores)

Sl. No.	Industrial House	Assets	Total Income (including Turnover)	Profit before Tax
1	Tata	8530.93	8079.80	594.42
2	Birla	8473.35	8417.41	439.55
3	Reliance	3600.27	1901.11	87.36
4	Thapar	2177.15	2280.59	109.78
5	J.K. Singhania	2139.00	1786.93	35.74
6	Larsen & Toubro	1681.52	1128.26	62.47
7	Modi	1399.37	2009.35	23.09